

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ...C/428...../

जबलपुर, दिनांक 13/1/2023

II-14-131/17

श्रीमती श्रीविद्या, S.P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को दिनांक 17.05.2022 से 26.05.2022 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 27.05.2022 से 22.11.2022 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश एवं दिनांक 05.12.2022 से 03.04.2023 तक 120 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया गया।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक ...C/429...../

जबलपुर, दिनांक 13/1/2023

II-14-131/17

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक अवकाश/3219 इंदौर दिनांक 1.12.2022 के संदर्भ में श्रीमती श्रीविद्या, S.P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर के आवेदन पत्र, शिशु का जन्म प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं कार्यभार ग्रहण आवेदन पत्र संलग्न सहपत्रों को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(यू.एस. दुबे)

ओ.एस.डी. कम-पी.पी.एस.

५